

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :- गंगाधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या
70 / 2021

रजू दिनांक
15.03.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
08.02.2022

उनवान

- 1 हरिसिंह
- 2 पन्नालाल
- 3 रमेश उम्र पुत्रान श्री प्रहलाद किशन जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामप्रसाद
2. गिराज पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. चिडिया पुत्री रामप्रसाद पत्नी रोहिताश जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
4. बिस्पत पत्नी श्री सुरजन
5. शेरसिंह पुत्र सुरजन
6. ललित कुमार पुत्र सुरजन
7. खेमचन्द पुत्र सुरजन नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता रीमती बिस्पत पत्नी श्री सुरजन
8. बाला देवी पत्नी सुरेश
9. सोनु पुत्र सुरेश
10. नीरज पुत्र सुरेश
11. ऋतु पुत्री सुरेश जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
12. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री विकास यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री निवास शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.02.2022 को श्री गंगाधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-


“ तहसीलदार कोटकासिम के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी के वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित एमि आराजी हाल खसरा नम्बर 2746/556 रकबा 1.0242 है0, 488 रकबा 0.1770 है0, 492/2 कबा 0.0506 है0 के अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)



अंग रहेगा। तहसीलदार कोटकासिम रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(गंगाधर डमीणा) अधिकारी
कोटकासिम (अधिकारी)
कोटकासिम जिला अलवर राज0